कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

मोबाईल लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
2 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 20 अगस्त। अलवर के पुलिस थाना नीमराना ने आज रविवार को मुखबिर की सूचना पर मोबाईल लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि थाना नीमराना के थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा मुखबिर की ईतला पर मोबाईल लूट के आरोपी मनोज कुमार पुत्र सतीश कुमार उम्र 19 साल जाति अहीर निवासी डूमरोली थाना नीमराना तथा अनूप पुत्र रामपाल जाति अहीर उम्र 22 साल निवासी डूमरोली थाना नीमराना को थाना नीमराना में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से SUMSUNG MOBILE, पर्स, आईडी, पेन कार्ड, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हिरो होण्डा सीडी डिलेक्स को बरामद किया गया।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि 19 अगस्त,2017 को परिवादी श्री चिराग पुत्र श्री निर्मल गौगई जाति आहोम निवासी मोटानी थाना कुवांग जिला डिबरूगढ असम ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं नीडेक कम्पनी जापानी जोन नीमराना में इन्टरव्यू देने जा रहा था तो रास्ते वायटेक कम्पनी के पास काली पहाडी रोड पर पहुंचा तो एक मोटरसाईकिल हिरो होण्डा सीडी डिलेक्स रंग लाल जिसके आगे नम्बर प्लेट पर एचआर 35 ई 1579 लिखे हुए थे जिस पर दो लडके आए थे उन्होने मेरे पास मोटरसाईकिल रोक कर मेरे साथ हाथा पाई कर मेरा सैमसंग मोबाईल फोन व मेरा पर्स जिसमे आईडी पहचान पत्र व पेन कार्ड तथा 170 रूपये थे उक्त दोनों बदमाश छीनकर ले गए।

राही/सन्तरा/607/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

थाना मासलपुर में अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकडा

1 हथकड देशी कट्टा, 2 अर्द्वनिर्मितपिस्टल, 10 मैगजीन, 05 जिन्दाकरतूस 315 बोर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

अवैध हथियार देशी पस्टल, कट्टा, बन्दूक बनाने के औजार जप्त

जयपुर 20 अगस्त। करौली जिले के पुलिस थाना माललपुर द्वारा अवैध हथियार रखने, बेचने व बनाने के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मासलपुर के जंगल में पहाड के नीचे अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पर्दाफाश करते हुए 1 हथकड देशी कट्टा, 2 अर्द्व निर्मित पिस्टल, 10 मैगजीन, 5 जिन्दा करतूस 315 बोर एवं अवैध हथियार देशी पिस्टल, कट्टा, बन्दूक बनाने के औजार बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक करौली, श्री अनिल कयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 अगस्त,2017 मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम बिरहटा थाना मासलपुर के जंगल में पहाड के नीचे एक बाजरे के खेत में 5–6 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से देशी पिस्टल, देशी कट्टा, बन्दूक बनाने का काम किया जा रहा है। जिस पर थानाधिकारी मासलपुर गजानन्द सिंह उपनिरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु सांकेतिक स्थान पर रवाना किया। थानाधिकारी मय जाप्ता के सांकेतिक स्थान पर पहुंचा तो 5–6 व्यक्ति पहाड के नीचे एक बाजरे के खेत में बैठे हुए दिखाई दिये जो पुलिस जाप्ता को देखकर भागने लगे। जिन्हे थानाधिकारी ने जाप्ता की मदद से पकडना चाहा तो 2 व्यकित पकड में आये जिनसे नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम प्रहलाद पुत्र सुमेरा जाति जाटव निवासी बिरहटा थाना मासलपुर व दुसरे पे अपना नाम हरिओम पुत्र सुमेरा जाति जाटव निवासी बिरहटा थाना मासलपुर जिला करौली का होना बताया।

श्री अनिल कयाल ने बताया कि हरिओम की तलाशी ली गई तो पेन्ट में पीछे की तरफ एक पौना देशी कट्टा व पेन्ट की जेब में एक जिन्दा कारतूस एवं प्रहलाद के पेन्ट की जेब में 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर मिले तथा मौके पर अवैध हथियार देशी पिस्टल, देशी कट्टा, बन्दूक बनाने के औजार सामग्री जिनमें 02 पिस्टल अर्द्वनिर्मित, 10 मैगजीन के खाली खोका, 11 रेती, 01 बसूला, 19 फनर व 02 फनर मय हत्था, 02हथौडा, 02 लाहे की मशीनगीरा, 02 पिलास, 01 पेचकस, 01

ड्रिलमशीन, 01 हेण्डिलड्रिलमशीन, 07 रिन्च, 07 बारसल, 28 मैगजीनस्प्रिंग, 05 लोहे के बडेबोल्ट,, 03 लोहे की छडें, 16 लोहे की चद्दर के टुकडे, 01 कमानीकाटुकडा, 01 ग्रान्डर, 10 बरमाछोटे व बडे, 01 चूडीबनानेकाटब, 01 सूतबरका, 01 हैण्डटब, 01 नली, 02 लकडी के हत्था, 02 हैण्डगीरा, करीबन 100 कील व रिपिट व 02 कमल छैनी मिले।

उन्होंने बताया कि हरिओम व प्रहलाद से अपने पास देशी कट्टा, कारतूस व अवैध हथियार बनाने का अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। जिस पर हरिओम व प्रहलाद को मौके पर गिरफ्तार किया जाकर थाना मासलपुर पर अभियोग आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया। भागे गये शेष आरेापियों की गहनता से तलाश जारी है। प्रहलाद पुत्र सुमेरा के विरूद्व थाना मासलपुर पर अवैध हथियार रखने, बनाने, बेचने के 06 अभियोग पूर्व में दर्ज है।गिरफ्तार कर ने वाली पुलिस टीम को नगद ईनाम मय प्रशंसा पत्र के पुरूस्कृत किया जावेगा।

राही/सन्तरा/607/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

प्रदेश में विभिन्न अपराधों में 586 गिरफ्तार

जयपुर, 20 अगस्त। पुलिस द्वारा जिलों में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों को पकडने का अभियान चला रखा है। जिसके अन्तर्गत पुलिस ने प्रदेश में गत सप्ताह विभिन्न अपराधों में 586 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैं।

इस सम्बन्ध में राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा महिलाओं के साथ छेडछाड, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त, जुआ व सट्टे खेलने वाले एवं अवैध हथियार रखने वालों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये थे।

पुलिस ने राज्य में महिलाओं के साथ छेडछाड करते पाये गये 0 व्यक्तियों, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त 144 व्यक्तियों, जुआ व सट्टे खेलने वाले 350 व्यक्तियों एवं अवैध हथियार रखने वाले 92 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार 586 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

राही/सन्तरा/604/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय राज्य पुलिस जवाबदेही समिति,जयपुर

(डी–4,बादामी भवन,बैंक ऑफ इण्डिया के ऊपर,स्वर्णकार कॉलोनी,आर.पी.ए. रोड़,जयपुर)

राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की 12वीं बैठक मंगलवार को

जयपुर, 20 अगस्त। राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की 12वीं बैठक मंगलवार को नये कार्यालय डी–4,बादामी भवन,बैंक ऑफ इण्डिया,स्वर्णकार कॉलोनी,आर.पी.ए.रोड़,जयपुर में आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी देते हुए समिति के सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,कानून एवं व्यवस्था श्री एन.आर.के.रेड्डी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत जस्टिस जी.एल. गुप्ता करेंगे। बैठक में अन्य सदस्य श्रीमती शशी अग्रवाल,एडवोकेट झालावाड़ एवं श्री शफी मोहम्मद कुरेशी भी भाग लेंगे।

श्री रेड्डी ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 62(1) व 63 में वर्णित नियम के तहत गठित राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की बैठक में विभाग में पदस्थापित आर.पी.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर पीड़ित व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुनवाई कर उनकी शिकायतों का नियमानुसार निराकरण किया जाता है।

उन्होंने बताया कि पुलिस कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को व्यक्तिगत सुनवाई कर पीड़ित को नियमानुसार न्याय दिलाने बाबत जिला पुलिस जवाबदेही समितियों को प्रेषित की जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जिले में जिला पुलिस जवाबदेही समिति गठित की हुई हैं। जिनकी बैठक भी नियमित रूप से होती है।

———

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

जीआरपी थाना अजमेर द्वारा 3.500 किलो डोडा–पोस्त के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

जयपुर 20 अगस्त। अजमेर के पुलिस थाना जीआरपी ने गस्त चैकिंग के दौरान 3.500 किलो डोडा–पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक अजमेर श्री सुनील कुमार बिशनोई, ने आज जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेनों में बढते अपराध,मादक पदार्थ की तस्करी व आतकंवादी गतिविधियों पर नजर रखते हुए श्री चौथमल पु0नि0 थानाधिकारी जीआरपी थाना अजमेर के द्वारा स्पैशल टीम गठित की गई।

उन्होंने बताया कि स्पेशल टीम के सदस्य श्री भवानी सिंह हैड कानि0 नं 77, श्री मानसिंह कानि नं. 5550 व श्री भंवर विक्रम सिंह कानि नं. 398 द्वारा गस्त चैकिंग के दौरान रेल्वे स्टेशन अजमेर पर मुल्जिम कालू रावत पुत्र श्री दलीचन्द उम्र 32 साल जाति रावत मीणा निवासी बगीमा का खेड़ा पुलिस थाना भीण्डर जिला उदयपुर राज. को सन्देह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई तो पीठू बैग में अवैध 03.500 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। जिस पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरण दर्ज किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के सम्बन्ध में अनुसंधान जारी है।

राही/सन्तरा/605/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।